तीनों सेनाओं का तालमेल बहुत जरूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में हुए सेमिनार में कहा

नई दिल्ली, 30 सितम्बर. 21वीं सदी की सुरक्षा चुनौतियां तेजी से बदल रही हैं जहां युद्ध सिर्फ जमीन, आसमान और समुद्र तक सीमित नहीं रहा.

अब इसमें अंतरिक्ष और साइबरस्पेस भी शामिल हैं. ऐसे में, भारत की सेनाओं का एकीकृत रूप से काम करना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बन गया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दिशा में स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि तीनों सेनाएं अब एक स्वर, एक लय और एक ताल में चलें, तभी दुश्मनों को हर मोर्चे पर जवाब दिया जा सकेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार के दौरान कहा कि आज की जटिल सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए थल, जल और वायु सेनाओं का एकीकरण अब केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि अभियानों की जरूरत बन गया है. उन्होंने कहा कि आज के समय में खतरे केवल पारंपरिक युद्धों तक सीमित नहीं हैं.

छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है

राजनाथ ने कहा एकीकरण का मतलब केवल उपकरण या रणनीति का साझा होना नहीं है, बल्कि यह विश्वास, संवाद और साझा मानकों की स्थापना से जुड़ा है. उन्होंने आगाह किया कि अगर निरीक्षण और सुरक्षा मानक अलग-अलग होंगे तो मुश्किल समय में भ्रम और निर्णय में देरी की स्थिति उत्पन्न होगी. एक छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, उन्होंने कहा. एकीकरण की राह में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए निरंतर संपर्क, संवाद और पारस्परिक समझ आवश्यक है. उन्होंने बल दिया कि हर सेना को एक-दूसरे की परंपराओं और विरासत का सम्मान करना चाहिए और समन्वित तरीके से काम करने की आदत विकसित करनी चाहिए. राजनाथ सिंह ने अंत में कहा, हमें संकल्प लेना होगा कि हम पुरानी दीवारें गिराएँगे और एक नई, एकीकृत सैन्य संस्कृति की ओर बढ़ेंगे. तभी हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे और भारत को सुरक्षा के हर मोर्चे पर अव्वल स्थान दिला सकेंगे.

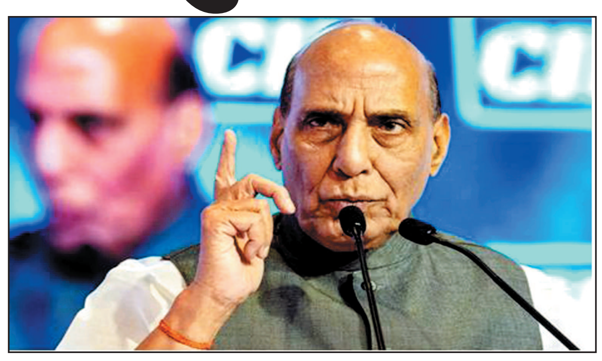

अंतरिक्ष और साइबरस्पेस भी युद्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र

अंतरिक्ष और साइबरस्पेस भी युद्ध के महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुके हैं. उन्होंने कहा, 21वीं सदी में सुरक्षा का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. खतरे अब अधिक जटिल और बहुआयामी हो गए हैं. इनका सामना केवल एक सेवा द्वारा नहीं किया जा सकता. आज जरूरत है, कि हमारी सेनाएं आपस में गहरे समन्वय के साथ कार्य करें. राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब तीनों सेनाएं एकजुट होकर काम करती हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है.

लंदन में महात्मा गांधी की प्रतिमा से तोड़फोड़

लंदन 30 सितंबर. लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा में तोड़फोड़ के बाद भारतीय उच्चायोग ने लंदन हाई कमीशन से इस मामले की जांच की मांग की. 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से पहले ब्रिटेन में सोमवार को यह घटना हुई. भारतीय उच्चायोग ने इसे शर्मनाक कृत्य बताया. इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हो गई. भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, भारत उच्चायोग लंदन के टैविस्टॉक स्क्वायर स्थित प्रतिमा के साथ हुई इस शर्मनाक तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करता है. यह सिर्फ तोड़फोड़ नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस से तीन दिन पहले अहिंसा के विचार और महात्मा गांधी की विरासत पर एक हिंसक हमला है.

लद्दाख में हुई हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच हो : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 30 सितंबर. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं की न्यायिक जांच करके दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है.

गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर लद्दाख के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि जो लोग हक की मांग कर रहे हैं, उनको हिंसा से डराने की बजाय उनसे संवाद करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने लद्दाख के एक पूर्व फौजी की पीढ़ा का वीडियो भी जारी किया, जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में सेवाएं दी और उसका बेटा लद्दाख में हुई गोलीबारी में मारा गया. कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में कहा पिता फौजी, बेटा भी फौजी – जिनके खून में देशभक्ति बसी है. फिर भी भाजपा सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था. पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं – क्या आज देशसेवा का यही सिला है. गांधी ने कहा हमारी मांग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

प्रदेश में नव निर्माण कार्यों में तेजी लाएं : धामी

मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश

देहरादून, 30 सितम्बर. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में निर्माण और नव निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए.

उन्होंने कहा कि अब मानसून अवधि पूर्ण हो चुकी है, सभी विभाग धरातल पर कार्यों में तेजी लाएं. धामी ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी सड़कें निर्धारित समय सीमा में गड्ढा मुक्त की जाएं. उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए. जिन क्षेत्रों से बार-बार सड़क संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां विशेष निगरानी रखी जाए और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए.

उन्होंने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की कार्य प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करने तथा 31 अक्टूबर तक पैच वर्क पूर्ण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, डॉ. पंकज पांडेय, विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक एपी अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते एवं अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

ईडी ने जीएसटी धोखाधड़ी मामले में की संपत्ति कुर्क

नई दिल्ली, 30 सितंबर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को बताया कि उसने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में 15.41 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की है. ईडी के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई रांची अंचल कार्यालय द्वारा शुरू की गई. ईडी द्वारा कुर्क की गई 10 अचल संपत्तियां कोलकाता और हावड़ा में स्थित हैं. ये संपत्तियां बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड अमित गुप्ता और उसके सहयोगियों की

वेकोलि में राजभाषा पखवाड़े का समापन

नागपुर. 14 सितम्बर से प्रारंभ राजभाषा हिंदी पखवाड़ा का 29 सितम्बर को समापन हुआ. पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह में मुख्य अतिथि, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जय प्रकाश द्विवेदी ने हिंदी में सर्वाधिक कार्य करने के लिए क क्षेत्र में कन्हान और ख क्षेत्र में माजरी को राजभाषा शील्ड प्रदान की. समापन समारोह में पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिए. साथ ही, 'तिमाही राजभाषा प्रगति प्रतिवेदन' पोर्टल का लोकार्पण अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जयप्रकाश द्विवेदी द्वारा किया. इस पोर्टल के माध्यम से विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों से तिमाही राजभाषा प्रतिवेदन समय पर हो सकेगा. समारोह में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जय प्रकाश द्विवेदी ने कहा हिन्दी एक सरल भाषा है और हमें इसको पूर्णत: अपनाना चाहिए. उन्होंने हिंदी भाषा के प्रसार के लिए अधिक प्रोत्साहन देने पर बल दिया. संवाद के भाव हिंदी भाषा में सरलता से व्यक्त हो सकते है. उन्होंने दैनिक वार्तालाप के साथ कार्यालय के कामकाज में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने का आह्वान किया.

समारोह के प्रारंभ में महाप्रबंधक व राजभाषा प्रमुख पी. नरेन्द्र कुमार ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया. उन्होंने अपने भाषण में बताया की पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था. इनमें भाषण, स्व-रचित काव्य, स्लोगन, अंताक्षरी, प्रश्न मंच, क्विज आदि की प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी. उन्होंने कंपनी में हिंदी के बढ़ते प्रचलन का जिक्र करते हुए हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य से किए विविध कार्यों के बारे में अवगत कराया. कंपनी स्तरीय स्व-रचित काव्य स्पर्धा के प्रथम और द्वितीय विजेताओं क्रमश: बालचंद फिकिरराम व अमित खेरे, नागपुर क्षेत्र ने अपनी रचनाओं का पाठ किया.

वी. के. मल्होत्रा के निधन पर केजरीवाल ने जताया शोक

नई दिल्ली, 30 सितम्बर. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली राजनीति के एक मजबूत स्तंभ वी. के. मल्होत्रा के निधन पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरा दु:ख व्यक्त किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. दिल्ली भाजपा के दिग्गज नेता वी. के. मल्होत्रा के निधन पर देश के राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस अवसर पर संवेदनशील शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा—दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता वी. के. मल्होत्रा जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है. ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवार के साथ हैं. वी. के. मल्होत्रा भारतीय राजनीति में एक वरिष्ठ और सम्मानित नाम रहे हैं. वे न केवल भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में लंबे समय तक सक्रिय रहे, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल संगठनों के प्रतिनिधि, और सांसद के रूप में भी उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं. उनके निधन को राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में एक अपूरणीय क्षति के रूप में देखा जा रहा है. भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक मार्गदर्शक, विचारशील नेता और सज्जन व्यक्ति के रूप में याद किया. केजरीवाल का यह शोक संदेश दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों से परे जाकर भी नेताओं में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता कायम रहती है. संकेत दिया कि मल्होत्रा जैसे वरिष्ठ नेताओं की भूमिका राजनीति में समरसता और शिष्टाचार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला-देवास (म.प्र.)
Telephone No.- 7272-255301 Fax No.-
E mail add.- dewasmandi@gmail,com,

क्रमांक/मंडी/निर्माण/25-26/1626 देवास दिनांक 26.09.2025

मंडी समिति प्रांगण देवास एवं उपमंडी बरोठा में आरओ/ वाटर कूलर व एसेसरीज सहित वार्षिक मरम्मत रख-रखाव ठेका हेतु ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सर्वसम्बधितों को सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति देवास जिला देवास के अन्तर्गत किसानों को शीतल पेय जल की पूर्ति नियमित संचालन हेतु प्रांगण / उपमंडी प्रांगण में स्थापित आर.ओ./वाटर कूलर के मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य हेतु मंडी समिति के प्रस्ताव 439 कमांक दिनांक 10.10.2024 समय-समय पर जारी आदेश-निर्देश के पालन में वार्षिक रख-रखाव (ए.एम.सी.) एवं लगने वाली स्पेयर एसेसरीज सामग्री सहित ठेका दिया जाना है। इस हेतु ऑनलाईन द्वितीय निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http://mptendrs.gov.in/nicgep/app पर प्राप्त होगी जिसका सिस्टम निविदा क्रमांक 2025_MPSAM_454685_1 है। । उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल WWW.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी ।

इस हेतु इच्छुक संस्था अपनी दरें निर्धारित प्रपत्र में आर.ओ./वाटर कुलर, व स्पयेर एसेसरीज सामग्री सहित उपरोक्त मंडी बोर्ड के पोर्टल पर दिनांक 30.09.2025 अपलोड करते हुऐ 03 लिफाफा पद्धति अनुसार कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति देवास में, दिनांक 15.10.2025 को कार्यालयीन समय में 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक. 17.10.2025 को अपरान्ह में खोली जावेगी ।

आर.ओ./वाटर कुलर कार्य हेतु धरोहर राशि रु 50000/- रुपये रहेगी जो एफ.डी.आर के रूप में रेवेन्यू टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त सचिव कृषि उपज मंडी समिति देवास के नाम देय होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर राशि की एफ.डी.आर एवं योग्य पात्रता होने पर ही ऑनलाईन निविदा खोली जायेगी।

आवेदन पत्र एवं समस्त शर्तें कार्यालय उपज कृषि उपज मंडी समिति देवास में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।

नोट:- आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार की संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित की जायेगी ।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, देवास, जिला देवास (म.प्र.)
भार साधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, देवाल, जिला-देवास (म.प्र.)

इक्वडोर में प्रदर्शनों की सरकार ने की निंदा

क्विटो, 30 सितंबर. इक्वाडोर के इम्बाबुरा प्रांत में सप्ताहांत में हुयी हिंसक घटनाओं की सरकार ने जोरदार निंदा करते हुये सोमवार को कहा कि विरोध प्रदर्शनों के रूप में की गई ये गतिविधियां शांतिपूर्ण नहीं हैं. गौरतलब है कि उन हिंसक घटनाओं में एक नागरिक की मौत हो गयी थी.

कब्जा नोटिस

जबकि, **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (2) के साथ नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकताओं को **मांग नोटिस** जारी किए हैं, जिसमें उधारकताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से **60 दिनों** के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/ बकाया राशि (रुपये में)	दिनांक/समय और कब्जे का प्रकार
1	45570430000055	1) श्री राम धनगर, पुत्र निर्भय सिंह, 2) श्रीमती साधना धनगर, पत्नी राम धनगर,	09.06.2025, रू. 4,57,798.05 (चार लाख सत्तावन हजार सात सौ अट्ठानवे और पाँच पैसे मात्र) 03.06.2025 तक	दिनांक: 25.09.2025 समय: शाम 5:30 प्रतीकात्मक कब्जा
	सुरक्षित संपत्ति का विवरण: प्लॉट/मकान सं.40/2, कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट (125.4191 वर्ग मीटर) और उस पर निर्माण सहित, पीएच संख्या 26, ग्राम-नांदेड़ में स्थित, ग्राम पंचायत नांदेड़, तहसील तराना/माकडोन और जिला उज्जैन (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, पूर्व में श्री कुमेश के प्लॉट, पश्चिम में कॉमन रोड, उत्तर में श्री कुमेश के मकान और दक्षिण में स्वयं के मकान से घिरा हुआ।			

जबकि ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ उपरोक्त उल्लिखित तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से कोई भी लेन-देन **जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: उज्जैन
दिनांक: 01.10.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, भूतल एवं प्रथम तल, सर्वेक्षण क्रमांक 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, डोम्लुर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बेंगलुरु-560071। शाखा कार्यालय: प्लॉट क्रमांक 306-ए, पीयू 4, स्कीम संख्या 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	67410609	संपत्ति के बदले ऋण	04.09.2025	1,97,587.42/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1.पप्पू सिंह नायक 2.मंजू बाई

संपत्ति का पता: अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका माप 40 x 23 = 920 वर्ग फीट (85.50 वर्ग मीटर) है, सर्वे संख्या/आबादी खसरा संख्या 269, मकान संख्या 16 के बाहर, गांव बमोरी, फोन नंबर 23, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश में स्थित है, और इसके चारों ओर हैं: उत्तर: विक्रम सिंह का प्लॉट, दक्षिण: देवकरण का घर, पूर्व: सड़क, पश्चिम: सूरज सिंह का प्लॉट

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

दिनांक: 01.10.2025
स्थान: शाजापुर
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता, सह-उधारकताओं और गारंटरों 1. श्री दीपक दामके, 2. श्री गोपाल प्रेमाजी, 3. श्रीमती राजू बाई को आह्वान करते हुए दिनांक 28.12.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया। नोटिस में उल्लिखित राशि 4,02,730.92 रुपये (चार लाख दो हजार सात सौ तीस और बानवे पैसे मात्र) को 26.12.2024 तक उक्त मांग नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाना होगा।

उधारकताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज 26 सितंबर 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकताओं और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) द्वारा 4,02,730.92 रुपये (चार लाख दो हजार सात सौ बत्तीस पैसे मात्र) की राशि और उस पर ब्याज के भार के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

बंधक संपत्ति का विवरण

आबादी खसरा नंबर -112, प्लॉट नंबर -10, माप 50 x 20 = 1000 वर्ग पर स्थित संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और टुकड़ा। फुट, ग्राम पंचायत गुनावद, ग्राम गुनावद, तहसील और जिला. धार, मध्य प्रदेश-454001, और, इसकी सीमा निम्नानुसार है: पूर्व: प्रधान मंत्री रोड, पश्चिम: चंदर पटेल उत्तर: राजेश रामवंशी, दक्षिण: कालू

दिनांक: 26-09-2025
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 44634779
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

यूट्यूब कंपनी ट्रम्प को देगी 2.45 करोड़ रुपए

वाशिंगटन. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ओर से दायर मुकदमे में समझौता करने के लिये वीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने 2.45 करोड़ रुपये चुकाने पर सहमति बनायी है. ट्रम्प ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर दी है. ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा यूट्यूब ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेरे अकाउंट पर अवैध प्रतिबंध लगाने 2.45 करोड़ रुपये देगा. इस बड़ी जीत से साबित होता है कि बड़ी टेक सेंसरशिप के बुरे परिणाम होते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने यह समझौता किया है.

इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा भी ट्रंप के अकाउंट निलंबित करने पर उन्हें भुगतान करने को राजी हो चुके हैं. गौरतलब है कि नवंबर 2020 का राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद ट्रम्प के समर्थकों ने छह जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में हिंसा और आगजनी की थी.

कार्यालय : नगर पालिक निगम, उज्जैन म.प्र.
छत्रपति शिवाजी भवन कोयला फाटक उज्जैन Ph: 0734-2535229
Website:http://nagarnigamujjain.org/E-mail:nn.ujjain@mpurban.gov.in
(online) **निविदा विज्ञप्ति**

क्रमांक:-उ.वि./897 उज्जैन दिनांक : 29/09/2045

निम्नांकित कार्य के लिए प्रमत्र अ (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग मप्रशासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गर्वमेंट का सिरियल कं 01, 02 का टेण्डर फॉर्म का मुल्य 2,000/- का रहेगा। सिरियल के 03, 04 का टेण्डर फॉर्म का मुल्य 5,000/- का रहेगा।

सिरियल क्रं. सिरियल क्रं. 01, 02, 03 व 04 आनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 13.10.2025 समय 17.30, ऑनलाईन ई. एमडी राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम 13.10.2025 समय 17.30 रहेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। यदि उपरीका निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं की जावेगी।

क्र.	निविदा विज्ञप्ति क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल	अर्नेस्टमनी रुपए	समय अवधि
1	E-Tendering No. 2024_UAD_377132_5	झोन क्रं 03 वार्ड क्र 26 अंतर्गत फव्वारा चौक उद्यान में विभिन्न मरम्मत व संधारण कार्य ।	423674/-	UADD SOR & Non Sor	8500/-	60 दिन
2.	E-Tendering No. 2025_UAD_438235_2	वार्ड क्रं 51 अंतर्गत महानंदा नगर काम्पलेक्स के पीछे स्थित उद्यान का विकास कार्य।	785751/-	UADD SOR & Non Sor	15750/-	90 दिन
3.	E-Tendering No. 2025_UAD_434305_2	वार्ड क्रं 24 अंतर्गत गांधी बाल उद्यान (क्षीरसागर उद्यान) का विकास एवं उन्नयन कार्य।	2563561/-	UADD SOR & Non Sor	50000/-	120 दिन
4.	E-Tendering No. 2025_UAD_411208_2	वार्ड क्रं 09 अंतर्गत संत रविदास उद्यान को आदर्श उद्यान के रूप में विकसित करने बाबद।	25,56,147/-	UADD SOR & Non Sor	50000/-	120 दिन

कार्यपालन यंत्री (उद्यान)
नगर पालिक निगम, उज्जैन

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमर्सोन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के अंतर्गत, अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित सूचना में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। अधोहस्ताक्षरी का यह मानना है कि उधारकर्ता/उधारकर्ता मांग सूचना/सूचनाओं की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार सूचना की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग सूचना/सूचनाओं की विषय-वस्तु नीचे उद्धृत है:

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता संपत्ति धारकों का नाम, जैसा भी मामला हो	सुरक्षित परिसंपत्तियों / बंधक संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि 13 (2) और टोटल O/s
1	**लैन: 601739511890675 और 601739211890411 1. नीलिमा महेश बुके 2. श्री महेश पुरूषोत्तम बुके पता: मकान नंबर 381 वार्ड नंबर 18 गुलाब बाई कॉलोनी नागदा 456335**	जमीन के एक हिस्से पर स्थित शांति और पार्सल हाउस सर्वे क्रमांक 471/1, ग्राम पाडल्याकलां में स्थित मोहल्ला न्यू गांधी कॉलोनी के समीप, नागदा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन, संपत्ति की सीमा इस प्रकार है: पूर्व- श्री कैलाशचंद्र रावल का मकान, पश्चिम-श्रीमती कृष्णा कुंवर दिलवाई का मकान, उत्तर-कॉमन रोड, दक्षिण-लेन क्षेत्रफल 46.44 वर्ग मीटर।	15-09-2025 रु. 35,33,512.11 (पैंतीस लाख तैंतीस हजार पाँच सौ बारह और ग्यारह पैसे मात्र) 15-09-2025 तक एनपीए तिथि: 05-09-2025

उधारकताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि **एसएमएचएफसी** एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकताओं द्वारा बंधक रखी गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो **एसएमएचएफसी** सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। **एसएमएचएफसी** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएचएफसी** को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य **एसएमएचएफसी** को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएचएफसी** को उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ता(ओं) को **एसएमएचएफसी** की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या उनसे निपटने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यावसायिक गतिविधि के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। डिमांड नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(ओं) यदि चाहें तो इसे नीचे हस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्य दिवस में सामान्य कार्यालय समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : उज्जैन, मध्य प्रदेश
दिनांक : 15.09.2025
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।